प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका सेवा सं 1446/2015

निर्णय सुरक्षित किया गया:--04.11.2024

निर्णय पारित किया गया:--16.12.2024

दिलीप रंगारी पिता अमृतलाल रंगारी, 43 वर्ष, निवासी स्टेशन पारा , वार्ड संख्या 9, राजनंदगांव, पुलिस थाना तथा पोस्ट राजनंदगांव, नागरिक तथा राजस्व जिला-राजनंदगांव, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1- छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव के द्वारा , स्कूली शिक्षा विभाग/सर्व शिक्षा अभियान, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नई रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2- मिशन निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़ रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

3- कलेक्टर और जिला मिशन निदेशक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन सर्व शिक्षा अभियान, राजनंदगांव, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़

4- जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, राजनंदगांव, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़

5- जिला शिक्षा अधिकारी, राजनंदगांव, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़

6-खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक राजनंदगांव, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़

--उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता हेतु:––श्री शाश्वत मिश्रा, अधिवक्ता ,श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता।

राज्य हेतु :––मो. रुहुल अमीन मेमन, पैनल अधिवक्ता।

माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति रजनी दुबे

सी. ए. वी. आदेश

1. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका कलेक्टर सह जिला मिशन निदेशक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, राजनांदगांव, जिला– राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा पारित दिनांक 23.03.2015 के आदेश की वैधता, वैधानिकता, और औचित्य को चुनौती देते हुए दायर की है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को कदाचार के आरोपों के लिए दंड के रूप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। अतः, याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका में निम्नलिखित अनुतोष की मांग कि गई हैं:–––

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"10.1. यह कि ,माननीय न्यायालय कलेक्टर–सह–जिला मिशन निदेशक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, राजनांदगांव (सी.जी.) द्वारा पारित दिनांक 23.03.2015 (अनुलग्नक पी/1) के आदेश को रद्द करने के लिए रिट/रिट, आदेश/आदेश, निर्देश/निर्देश जारी करने की कृपा करे, जिसमें बकाया वेतन सहित सभी परिणामी लाभ दिए जाएं।

10.2. यह कि, माननीय न्यायालय कृपया किसी भी अन्य अनुतोष को प्रदान करने कि कृपा करें , जो मामले के उपरोक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों में उचित तथा उपयुक्त माना जाता है।"

2. वर्तमान रिट याचिका में प्रस्तुत मामले के तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता को प्रारंभ में राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन के जिला परियोजना कार्यालय, ब्लॉक केंद्र में एक निश्चित मासिक वेतन पर संविदा के आधार पर ब्लॉक संसाधन समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था।याचिकाकर्ता की नियुक्ति विधिक प्रावधानों के अनुसार और वर्ष 1996 में जारी विज्ञापन के अनुसार उचित चयन प्रक्रिया के माध्यम से और सभी पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के बाद की गई थी।लिखित परीक्षा आयोजित की गई, उसके बाद साक्षात्कार भी लिया गया और चयन सूची प्रकाशित की गई, याचिकाकर्ता को तदनुसार ब्लॉक संसाधन केंद्र समन्वयक के पद पर चयनित और नियुक्त किया गया और उन्हें ब्लॉक राजनांदगांव में तैनात किया गया और उन्होंने 23.03.2015 तक अपनी सेवाएं जारी रखीं।याचिकाकर्ता को कलेक्टर–सह–जिला मिशन निदेशक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, राजनंदगांव, जिला–राजनंदगांव (सी. जी.) द्वारा पारित आदेश के माध्यम से अपनी सेवा से कदाचार के आरोपों हेतु सजा के रूप में समाप्त कर दिया गया था।न तो याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, न ही जांच रिपोर्ट की प्रति दी गई और न ही याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई जांच के आधार पर उसे कदाचार के स्पष्ट निष्कर्ष के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।सेवा समाप्ति का आदेश, नियुक्ति आदेश दिनांक

06.12.1997 के खंड 2 और खंड 6 के अनुसार केवल सेवा समाप्ति का आदेश नहीं है, बल्कि यह एक कलंकपूर्ण आदेश है जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा यह वर्तमान याचिका दायर की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सेवा समाप्ति का आदेश केवल सेवा समाप्ति नहीं है, बल्कि कदाचार के लिए बर्खास्तगी है।आक्षेपित आदेश से पहले, याचिकाकर्ता पर कभी भी किसी वित्तीय अनियमितता का आरोप नहीं लगाया गया था और न ही उसके विरुद्ध कोई वित्तीय अनियमितता सिद्ध हुई थी, केवल फाइल प्रस्तुत करने में विलंब या बिना किसी प्राधिकृत व्यक्ति के सीधे मिशन निदेशक को फाइल भेजने का आरोप था, जिसके लिए उत्तरवादी के अभिलेख से ही स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। कारण बताओ कार्यवाही का उद्देश्य व्यक्ति को नोटिस में दर्शाए गए प्रस्तावित आरोपों के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज कराने का उचित अवसर प्रदान करना है।कारण बताओ नोटिस के चरण में, जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से अवगत कराया जाना चाहिए, ताकि वह अपना बचाव कर सके और अपनी बेगुनाही साबित कर सके।यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि कलेक्टर–सह–जिला मिशन निदेशक ने जांच की थी और साक्ष्य प्राप्त हुए थे और याचिकाकर्ता की पीठ पीछे कदाचार या निर्णायक प्रकृति के निष्कर्ष निकाले गए थे और ऐसी रिपोर्ट के आधार पर सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया गया था, ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा, जहां तक जांच का उद्देश्य है, यह याचिकाकर्ता को दंडित करने के उद्देश्य से आरोपों की सच्चाई का पता लगाना है, न कि केवल भविष्य में नियमित विभागीय जांच के लिए साक्ष्य एकत्र करना।यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई विभागीय जांच शुरू नहीं की गई थी और उत्तरवादी विभाग द्वारा याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था और यह दिनांक 23.03.2015 के समाप्ति आदेश (अनुलग्नक पी/1) से भी स्पष्ट है कि यह समाप्ति का सरल आदेश नहीं है, बल्कि यह एक कलंकपूर्ण आदेश है, इसलिए दिनांक 23.03.2015 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/1) अपास्त किये जाने योग्य है।

4. **उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य बनाम बृजेश कुमार एवं अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 28.08.2024 के आदेश, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 2282 में रिपोर्ट किए गए और श्रीमती मीनू तिवारी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य मामले में इस न्यायालय के दिनांक 01.11.2023 के आदेश,** डब्ल्यूपीएस संख्या 794/2018 में पारित आदेश का संदर्भ दिया गया है।

5. इसके विपरीत, उत्तरवादी संख्या 1, 5 और 6/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई उपरोक्त प्रार्थना का दृढ़तापूर्वक और जोरदार विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने उनके विरुद्ध कोई अनुतोष का दावा नहीं किया है, इसलिए यह याचिका राज्य के खिलाफ शुरू से ही खारिज किए जाने योग्य है और याचिकाकर्ता केवल उत्तरवादी संख्या 2 से 4/राजीव गांधी शिक्षा मिशन की कार्यवाही से व्यथित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4/राजीव गांधी शिक्षा मिशन की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इस आधार पर अपना जवाब दाखिल किया है कि याचिकाकर्ता ब्लॉक संसाधन केंद्रीय समन्वयक के मूल पद पर थे और ब्लॉक राजनांदगांव, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, राजनांदगांव (सीजी) में तैनात थे और जिला मिशन निदेशक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के कार्यालय द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान गबन/वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिन्हें ब्लॉक संसाधन समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, राजनांदगांव (सीजी) के रूप में संविदा के आधार पर तैनात किया गया था और शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए, जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन ने अपने आदेश दिनांक 29.10.2014 (अनुलग्नक पी/4) के तहत चार अधिकारियों की एक जांच समिति गठित की।तत्पश्चात, जांच समिति ने वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि याचिकाकर्ता ने वित्तीय अनियमितताएं की हैं तथा सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन किए बिना तथा जिला परियोजना अधिकारी की जानकारी एवं अनुमोदन के बिना 56,34,177/– (छप्पन लाख चौंतीस हजार एक सौ सतहत्तर रुपये मात्र) की राशि का भुगतान किया है। जांच समिति ने याचिकाकर्ता को नियम 25, वित्त संहिता, धारा 1 के तहत दोषी पाया तथा उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया।जांच रिपोर्ट दिनांक 14.01.2015 की प्रति अनुलग्नक पी/5 के रूप में संलग्न है।जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद और कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, जिला शिक्षा अधिकारी–सह–कार्यवाहक जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जिला– राजनांदगांव ने पुलिस स्टेशन– सिटी कोतवाली, जिला– राजनांदगांव में याचिकाकर्ता के खिलाफ 03.02.2015 (अनुलग्नक आर / 1) को लिखित रिपोर्ट / एफआईआर दर्ज की।जिस पर पुलिस ने भा.दं. सं. की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के तहत दंडनीय अपराध दर्ज किया। याचिकाकर्ता उक्त पद पर संविदा के आधार पर पदस्थ था और उसकी सेवा दिनांक 23.03.2015 के आदेश (अनुलग्नक आर/1) द्वारा समाप्त कर दी गई थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उचित और आवश्यक जांच के बाद, उत्तरवादी ने निष्पक्ष रूप से कार्य किया है और सार्वजनिक धन की घोर वित्तीय अनियमितताओं को देखते हुए, याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करना उचित ही है, यद्यपि याचिकाकर्ता एक संविदा कर्मचारी था, इसलिए, वर्तमान याचिका में कोई सार नहीं है और इसे खारिज किये जाने योग्य है।

7. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और समाप्ति आदेश सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

8. यह स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन के जिला परियोजना कार्यालय/ब्लॉक केंद्र में निश्चित मासिक वेतन पर संविदा के आधार पर ब्लॉक संसाधन केंद्र समन्वयक के रूप में कार्यरत था।यह भी निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रारंभिक जाँच की गई थी और जाँच समिति ने 14.01.2015 को अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक पी/5 के रूप में प्रस्तुत की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके बाद, याचिकाकर्ता की सेवा दिनांक 23.03.2015 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/1) द्वारा समाप्त कर दी गई।

9. दिनांक 23.03.2015 का सेवा समाप्ति आदेश (अनुलग्नक पी/1), तत्काल संदर्भ के लिए नीचे इस प्रकार पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:---

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक
राजीव गांधी शिक्षा मिशन,राजनांदगांव
//आदेश//

कमांक/317/एसएसए/स्था/2015 दिनांक 23.03.2013

विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र, राजीव गांधी शिक्षा मिशन राजनांदगांव के वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के समस्त वित्तीय अभिलेखों की जांच कराये जाने पर जांच प्रतिवेदन के अनुसार श्री दिलीप रंगारी, विकासखण्ड स्त्रोत संमन्वयक, राजीव गांधी शिक्ष मिशन राजनांदगांव के द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता किया जाना स्पष्ट रूप से पाया गया। तदनुसार संबंधित के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक 86/2015 दिनांक 03.02.2015 दर्ज कराये जाने के फलस्वरूप श्री दिलीप रंगारी, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, राजनांदगांव की संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। **WPS No. 1446 of 2015**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Sd/-
कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक
राजीव गांधी शिक्षा मिशन राजनांदगांव

राजनांदगांव,
दिनांक 23.03.2015
5 कमांक/318/एसएसए/स्था/2015/

प्रतिलिपि :-

01. सचिव छ०म० शासन स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर की ओर से सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
02. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, राज्य परियोजना कायालय रायपुर की ओर सादर सूचीं।
03. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजनांदगांव पदेन जिला परियोजना संचालक राजीव गांधी शिक्षा मिशन राजनांदगांव को सूचनार्थ।
04 . जिला शिक्षा अधिकारी राजनंदगांव को सूचनार्थ।
05. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।
06. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।
07. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी राजनंदगांव की ओर सूचनार्थ।
08. श्री राजू गुप्ता, प्रभारी विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।

09. श्री दिलीप रंगारी को सूचनार्थ।

सही/-
कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक
राजीव गांधी शिक्षा मिशन राजनांदगांव

10. उक्त आक्षेपित आदेश से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की सेवा गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आधार पर समाप्त की गई थी, अतः यह स्पष्ट है कि उक्त आक्षेपित आदेश कलंकित करने वाला है।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (सुप्रा)** के मामले में कंडिका 19 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:---

"19. उत्तरवादी की सेवाएँ केवल कथित कदाचार के आधार पर निर्धारित की गई हैं, लेकिन बिना कोई नियमित जाँच किए या उसे सुनवाई का कोई अवसर दिए।सेवा समाप्ति का आदेश किसी ऐसी रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है जो संभवतः उत्तरवादी को भी नहीं दी गई थी।ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरवादी को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है।इसलिए, उसकी सेवाओं की समाप्ति का आदेश, भले ही संविदा के आधार पर हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना कथित कदाचार के कारण पारित किया गया है।समाप्ति आदेश स्पष्ट रूप से कलंकित प्रकृति का है जिसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना पारित नहीं किया जा सकता था।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. डब्ल्यू. पी. एस. सं. 3288/2020 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांकित 11.04.2023 का आदेश याचिकाकर्ता के पक्ष में है।न्यायालय ने कंडिका 10 से 13 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:---

"10.माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चंद्र प्रकाश शाही (सुप्रा) मामले में कंडिका 12 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:---

"12.अब, यह सर्वविदित है कि अस्थायी सरकारी कर्मचारी या परिवीक्षाधीन व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत स्थायी कर्मचारियों के समान ही संरक्षण के हकदार हैं, जबकि अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को पद धारण करने का कोई अधिकार नहीं है और उनकी सेवाएं सेवा अनुबंध के तहत या ऐसी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले प्रासंगिक वैधानिक नियमों के तहत, बिना कोई कारण बताए, एक महीने का नोटिस देकर किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं।इसलिए, न्यायालय किसी भी निर्दोष आदेश का पर्दा उठाकर उसके वास्तविक स्वरूप को देख सकती हैं और यह पता लगा सकती हैं कि क्या यह आदेश उतना ही निर्दोष है जितना कि इसके शब्द लिखे गए हैं। (देखें: परशोतम लाल ढींगरा बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 36) इस निर्णय में यह समझाया गया है कि अक्षमता, लापरवाही या कदाचार किसी अस्थायी व्यक्ति

की सेवाओं को समाप्त करने हेतु सरकार को प्रेरित करने के कारण हो सकते हैं।कर्मचारी को संविदा की शर्तों के तहत या सेवा की शर्तों और नियमों को विनियमित करने वाले वैधानिक सेवा नियमों के तहत, जो कि, दूसरे शब्दों में कहें तो, सेवाओं को समाप्त करने का मकसद हो सकता है, लेकिन मकसद अपने आप में आदेश को दंडात्मक नहीं बनाता है जब तक कि आदेश उन कारकों या अन्य अयोग्यताओं पर "आधारित" न हो। "

11. कौशल चंद्राकर (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय ने कंडिका–20 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:–––

"20.डॉ. विजयकुमारन (सुप्रा) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कलंक लगाने वाली सामग्री का परिवीक्षाधीन व्यक्ति की समाप्ति के आदेश में होना आवश्यक नहीं है, बल्कि समाप्ति आदेश में संदर्भित किसी भी दस्तावेज़ में हो सकती है।यह भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसा संदर्भ अनिवार्य रूप से पदधारी की भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है और यदि ऐसा है, तो आदेश को स्पष्टतः समाप्ति का कलंक लगाने वाला आदेश माना जाना चाहिए...

12. राहुल त्रिपाठी (सुप्रा) मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यद्यपि उत्तर संतोषजनक नहीं पाए गए, लेकिन कोई जाँच नहीं की गई और उसके बाद, समाप्ति का आदेश जारी करना कलंक लगाता है, हालाँकि अनुबंध अवधि समाप्त हो गई, परिणामस्वरूप, समाप्ति का आदेश सभी परिणामी लाभों के साथ रद्द कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उपरोक्त चर्चा का सार तथा सार यह होगाः(1) याचिकाकर्ता की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए की गई थी; (ii) आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई समुचित अवसर नहीं दिया गया; (iii) यद्यपि याचिकाकर्ता को नियम, 2012 के नियम 11(5) के अनुसार खण्ड 5 में दी गई नियुक्ति की शर्तों का पालन करते हुए हटा दिया गया है, किन्तु याचिकाकर्ता के विरुद्ध पारित सेवा समाप्ति का आदेश कलंकपूर्ण है और इसे केवल सेवा समाप्ति नहीं माना जा सकता; (iv) आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व नियोक्ता द्वारा कोई जांच नहीं की गई।

13. उपर्युक्त विवेचना और उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता 06.12.1997 से संविदा के आधार पर कार्य कर रहा था और उसका नियुक्ति आदेश दिनांक 06.12.1997 अनुलग्नक पी/3 है और आक्षेपित आदेश दिनांक 23.03.2015 (अनुलग्नक पी/1) के द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर दी गई थी।यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 23.03.2015 का आक्षेपित आदेश केवल सेवा समाप्ति नहीं है, बल्कि इस आधार पर इसे कलंकपूर्ण या दंडात्मक माना जाता है कि याचिकाकर्ता पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के कारण उसकी सेवा समाप्त की गई है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना और कोई विभागीय जांच किए बिना पारित किया गया है।

14. अतः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, तत्काल याचिका को अनुमति दी जाती है और दिनांक 23.03.2015 का विवादित सेवा समाप्ति आदेश (अनुलग्नक पी/1) सभी परिणामी लाभों के साथ रद्द/आपास्त किया जाता है और याचिकाकर्ता को 50% बकाया वेतन के साथ उसके पद पर बहाल किया जाता है।उत्तरवादी प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को पद से जुड़े अपने कर्तव्य का पालन करने दें।तथापि, उत्तरवादीगण को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि यदि वे चाहें तो याचिकाकर्ता के विरुद्ध उचित विभागीय जांच आरंभ करें और याचिकाकर्ता को सुनवाई/बचाव का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात्, विधि के अनुसार तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए उचित आदेश पारित करें।

15. एक परिणाम के रूप में, रिट याचिका को उपरोक्त सीमा तक स्वीकृति दी जाती है।

सही/-
रजनी दुबे
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य*

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur